

हार गजट असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण 1941 (श0) (सं0 पटना 1293) पटना, बुधवार, 27 नवम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 27 नवम्बर 2019

एस॰ ओ॰ 397 दिनांक 27 नवम्बर 2019 बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात : -

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (सातवाँ संशोधन) नियमावली. 2019 है।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 14 नवम्बर, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) में,-
 - (i) प्ररूप जीएसटी आरएफ़डी -01 के, उपाबंध 1 में,
 - (क) कथन 1क के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

"कथन 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]

		त इनपुट के दर	के प्रा	प्त ३			यों	आवक प्रदायों पर संदत्त कर		पर	जारी जावक प्रदायों के दस्तावेजों के ब्यौरे				नों के	जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
क्र. सं.	आवक प्रदाय का प्रकार	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ स्वयं का जीएसटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	प्रवेश पत्र सं.	पत्तन कोड	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	जावक प्रदाय के प्रकार	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											ख2ख/ख2							";
											ग							

(ख) कथन 2 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

"कथन 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात (संचित आईटीसी)

		दस्त	ावेज के	ब्यौरे				बीउ	गरसी/एप	कआईआरसी
क्र.सं.	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर	सं.	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
										",

(ग) कथन 3 के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-:-

"कथन 3 [नियम 89(2)(ख) और नियम 89(2)(ग)] प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

	दस्त	दस्तावेज के ब्यौरे		माल/सेवाएं	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र		ईजीएम ब्यौरे		बीआरसी/एफआईआरसी				
क्र.सं.	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	(मा/से)	पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													";

(घ) कथन 4, के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

"कथन 4 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)] प्रतिदाय का प्रकार: विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईज़ेड) इकाई या एसईज़ेड विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के कारण (कर के संदाय पर)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्त	दस्तावेज के ब्योरे एसईज़ेड द्वारा		पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/ एसईज़ेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		F.			
जाएसटाआइएन	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									".

(इ.) कथन 4 के पश्चात निम्नलिखित कथन अंत:स्थापित जाएगा, अर्थात:-

"कथन 4क डीटीए से प्राप्त प्रदायों के कारण विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईज़ेड) द्वारा प्रतिदाय-कर के संदाय सहित

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस	तावेज	के ब्यौरे		पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/एसईज़ेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		कराधेय मूल्य एकीकृत कर		उपकर
	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	6	एक्	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									";

(च) कथन 5 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कथन 5 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार : एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को प्रदाय किए जाने के कारण (कर के संदाय के बिना)

क्र.सं.	दस्तावे	ज के ब	यौरे		माल/सेवाएं(मा/से)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/पृष्ठांकित बीजक संख्या		
	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							".	

(छ) कथन 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रदायकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क्र.सं.	प्रदायकर्ता द्वारा में आवक प्र	_			संदत्त कर				
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)] प्रतिदाय का प्रकार: प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

		प्राप्तिकत	र्ग द्वार	ा दावा वि	क्रए गए					
		प्रतिदाय	के म	गमले में	आवक		=	संदत्त कर		
क्र.सं.		प्रदायों के दस्तावेज ब्यौरे								
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									";	

(ज) कथन 6 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कथन 6 [नियम 89(2)(ञ)]

प्रतिदाय का प्रकार : पीओएस में परिवर्तन के कारण (अंतरराज्यिक से राज्यान्तरिक और विपर्येन)

दस्तावेज का	प्राप्तिकर्ता	नाम (बी2ग		दस	तावेज के	ब्यौर	
प्रकार ख2ग/रजिस्ट्रीकृत	जीएसटीआईएन/ यूआईएन	के मामले में)	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व के राज्यान्तरिक/अंतरराज्यिक रूप में विचारणीय संव्यवहार आच्छादित दस्तावेजों के ब्यौरे							
अंतरराज्यिक/ राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस		
9	10	11	12	13	14		

संट्यवहार जिसके लिए अंतरराज्यिक/ राज्यान्तरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे							
अंतरराज्यिक/ राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस		
15	16	17	18	19	20		
					"1		

- (ii) प्ररूप जीएसटीआर-9 की सारणी में,
 - (क) क्रम संख्या ४ग के सामने, स्तंभ 2 में,-
 - (अ) "वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी" शब्दों और अंको के पहले "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
 - (आ) "अप्रैल से 2018 से मार्च 2019 तक के दौरान उपभोग किये गये" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान उपभोग किये गये; वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवक प्रदायों पर आईटीसी (रिवंस भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं सिंहत) 2018-19 के दौरान प्राप्त किंतु अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान उपभोग किए गए";

(ख) भाग V में,-

- (अ.) "अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019" शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (आ.) "संव्यवहारों की विशिष्टियां" शब्दों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, अप्रैल, 2019 से सिंतबर, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2018-19 के संव्यवहारों की विशिष्टियां";

(iii) प्ररूप जीएसटीआर-9 के अनुदेशों में,-

- (क) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- "इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए यह विवरणी फाइल की गई है, सभी प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख का भरा जाना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाए।";
- (ख) पैरा 4 में,-
 - (अ.) "यह नोट किया जाए" शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;
 - (आ.) "वित्तीय वर्ष 2017-18" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या वित्तीय वर्ष 2018-19" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;
 - (इ) "इस विवरणी के माध्यम से" शब्दों के पश्चात् आने वाले शब्दों "वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अदावाकृत" का लोप किया जाएगा;
 - (ई) सारणी के दसरे स्तंभ में,-
 - (I) क्रम संख्या 4झ के सामने "9ख का उपभोग किया जा सकेगा।" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्निलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ में के जमापत्रों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";
 - (II) क्रम संख्या 4ञ के सामने "9ख का उपभोग किया जा सकेगा।" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित

- की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ में के नामे नोट के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";
- (III) क्रम संख्या 4ट और 4ठ के सामने "9ग का उपभोग किया जा सकेगा।" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ड में के संशोधनों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";
- (IV) क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने "(5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।" शब्दों, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविध्ट अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास केवल "छूट प्राप्त" पंक्ति के इन तीनों सभी शीर्षों के लिए उसके शून्य दर और गैर जीएसटी छूट प्राप्त प्रदायों की पृथक् रूप से या समेकित रूप से सूचना देने का विकल्प होगा।";
- (V) क्रम संख्यांक 5ज के सामने, "प्ररुप जीएसटीआर 1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प
- (VI) क्रम संख्यांक 5झ के सामने, "प्ररुप जीएसटीआर 1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";
- (VII) क्रम संख्यांक 5 अ और 5 ट के सामने, "प्ररुप जीएसटीआर 1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, संशोधनों का समग्र सारणी 5 क से 5 च में भरने का विकल्प होगा।";
- (ग) पैरा 5 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, --

- (अ.) क्रम संख्यांक 6ख के सामने "इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में पृथक रुप से की जाने चाहिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्निलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें ।";
- (आ.) क्रम संख्यांक 6ग और 6घ के सामने "सारणी 4 (क) (3) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नित्खित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रुप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें ।

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास विकल्प होगा कि वह या तो सारणी 6ग और सारणी 6घ में पृथक रुप से प्रस्तुत करे या सारणी 6ग और सारणी 6घ के समेकित ब्यौरे केवल सारणी 6घ में प्रस्तुत करें।";

- (इ.) क्रम संख्यांक 6ड. के सामने "सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्निलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें ।";
- (ई.) क्रम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग,7घ, 7ड., 7च,7छ और 7ज के सामने "प्रविष्टि प्ररुप जीएसटीआर -09 की 7ड. में आएगी" से समाप्त होने वाले प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो उलटने की सूचना पृथक रुप से सारणी 7क से 7ड. में भरे या उलटने की संपूर्ण रकम केवल सारणी 7ज में प्रस्तुत करें । तथापि, ट्रान-1 प्रत्यय (सारणी 7च) और ट्रान-2 (सारणी -7छ) के कारण उलटना आज्ञापक रुप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।";
- (उ) क्रम संख्यांक 8क के सामने. -
 - (I) शब्दों और अंकों "वित्तीय वर्ष 2017-18" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी होनी है" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (II) शब्दों "यह ध्यान दिया है कि" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
 - (III) शब्दों "स्वतः दर्शाया जाएगा" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह ध्यान दिया जाए कि 1 नवंबर, 2019 को उत्पन्न प्ररुप जीएसटीआर -2 को इस सारणी में स्वत: दर्शाया जाएगा।

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररुप जीएसटीआर-9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रुप विधान में सम्यक रुप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें।":

(ऊ) क्रम संख्यांक 8ख के सामने, "स्वतः दिखाया जाएगा ।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररुप जीएसटीआर-9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रुप विधान में सम्यक रुप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें ।";

(ऋ) क्रम संख्यांक 8ग के सामने, -

- (I) शब्दों "सभी आवक प्रदायों के लिए इनपुट" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (II) शब्दों "यहां घोषणा की जाएगी" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्निलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात्:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सभी आवक प्रदायों पर लिए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उनके जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, जिसके अन्तर्गत अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की पूर्ति भी है) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल, 2019 से सितंबर,2019 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी।
- (III) "ये ब्यौरे भरने के लिए" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी में पीडीएफ प्रारूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकत: हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा।";

(ए) क्रम सं0 8घ के सामने "नकारात्मक होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी में पीडीएफ प्रारूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकत: हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा।";

(घ) पैरा 7 में,--

- (अ) "भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्दों और अंक के स्थान पर "वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (आ) "अप्रैल, 2018 से मार्च 2019" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, भाग V पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए किए गए संव्यवहारों की विशिष्टियों, किंतु जो अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के बीच प्ररूप जीएसटीआर 3ख में संदत्त की गई है, से मिलकर बना है।";

- (इ) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--
 - (l) क्रम सं0 10 और क्रम सं0 11 के सामने,--
 - (1) "वर्धन के ब्यौरे" शब्दों से पूर्व, "वित्त वर्ष 2017-18" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
 - (2) "की यहां घोषणा की जाएगी" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व वित्त वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित किन्हीं पूर्तियों में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में यहां घोषित किए जाएंगे।":

(II) क्रम सं0 12 के सामने,--

- (1) "समग्र मूल्य," शब्दों से पूर्व, "वित्त वर्ष 2017-18 के लिए" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (2) "इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीसी को उलट करने का समग्र मूल्य, जिसका पूर्व वित्त वर्ष में लाभ उठाया गया था किंतु जिसे अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के मास के लिए फाइल की गई विवरणी में उलट दिया गया था, की यहां घोषणा की जाएगी । प्ररूप जीएसटीआर उख की सारणी 4ख का इन ब्यौरो को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा । वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह सारणी न भरने का विकल्प होगा ।";

(III) क्रम सं0 13 के सामने,--

(1) "आईटीसी के ब्यौरे" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईटीसी के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे; (2) "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व वित्त वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं की आईटीसी के ब्यौरे किंतु जिनके लिए आईटीसी का अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 मास के लिए फाइल की गई विवरणी में लाभ लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । प्ररूप जीएसटीआर उख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरो को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा । यद्यपि, कोई आईटीसी, जिसे धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में उलट दिया गया था किंतु जिसका वित्त वर्ष 2019-20 में पुनः दावा किया गया था, पुनः दावा किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे । वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा ।";

(ङ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

- (अ) क्रम सं. 15क, क्रम सं. 15ख, क्रम सं. 15ग और क्रम सं. 15घ के सामने "इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावो के ब्यौरे नहीं है" शब्दों के पश्चात्, "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (आ) 15ड, 15च और 15छ के सामने "मूल्य यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (इ) क्रम संख्यांक 16क के सामने, "इन ब्यौरों को भरने के लिए किए जा सकेगा" शब्दों के पश्चात "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।"शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ई) क्रम संख्यांक 16ख और क्रम संख्यांक 16ग के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (3) क्रम संख्यांक 17 और 18 के सामने, "आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो "शब्दों, अंकों और चिन्हों के पश्चात "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे

- 3. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी जीएसटीआर-9ग के, अनुदेशों में, पैरा 2 में,
 - (i) "वित्तीय वर्ष 2017-18" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा:
 - (ii) "जुलाई,2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे" अक्षरों,शब्दों और अंकों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंत:स्थापित किया जाएगा:
 - (iii) पैरा 4 में, सारणी के दूसरे स्तम्भ में, -
 - (क) क्रम संख्यांक 5ख और क्रम संख्यांक 5ग के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों और कोष्ठकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे । यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";
 - (ख) क्रम संख्यांक 5घ के सामने, "यहाँ सिम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्निलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";
 - (ग) क्रम संख्यांक 5ङ और क्रम संख्यांक 5च के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा/की जाएंगी" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविध्ति के पश्चात निम्नलिखित प्रविध्ति अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।":
 - (घ) क्रम संख्यांक 5छ के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-"वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";
 - (ङ) क्रम संख्यांक 5ज, क्रम संख्यांक 5झ, क्रम संख्यांक 5ज, क्रम संख्यांक 5ट, क्रम संख्यांक 5ठ, क्रम संख्यांक 5ड और क्रम संख्यांक 5ढ के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा "शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे । यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";

(iv) पैरा 6 में, दूसरे स्तंभ में,-

2.

......

हें:

- (अ) क्रम संख्यांक 12ख के सामने, "उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया" शब्दों और अंकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्निलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।":
- (आ) क्रम संख्यांक 12ग के सामने "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।";
- (इ) क्रम संख्यांक 14 के सामने "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे ।";
- (v) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भाग – ख-प्रमाणीकरण

l. उन मामलों में प्रमाणीकरण जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर -9ग) उस व्यक्ति
द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :
*मैंने/हमने
(क)को तुलन-पत्र की
(ख)को समाप्त होने वाले औरको समाप्त होने वाली
अवधि के लिए *लाभ और हानि लेखा और/ आय और व्यय लेखा की,और
(ग) यहां संलग्नके
समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन (यदि उपलबध है), मैसर्स(नाम)
(पता)(जीएसटीआईएन) की परीक्षा कर ली है ।
2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–
[*] ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम
2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों
अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।
*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम
2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों
अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।
1.

3. (क)*मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमियों/अंसगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते

- 3. (ख) ^{*} मैं / हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--
 - (अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।
 - (आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बिहयों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बिहयों को रखा गया है/नहीं रखा गया है।
 - (इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध हो) राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं।
- 4. सीजीएसटी अधिनियम/बीजीएसटी अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और सीजीएसटी अधिनियम/बीजीएसटी अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।
- 5. *मेरी/हमारी राय में और* मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

ig isith on the six tiglie.
(क)
(ख)
(刊)
**(संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)
स्थान :
हस्ताक्षरी का नाम
सदस्यता सं
तारीख :
पूरा पता
II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से
भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :
*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की
लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता

सं.धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और*मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तारीख को उनकी संपरीक्षा

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के

(ग)को समाप्त होने वाली औरको समाप्त होने वाली

रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।

(क) को तुलन-पत्र;

लिए लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा;

अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और

- (घ) उक्त अधिनियम द्वारा ∗लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।
- 2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बिहयों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

- 3. सीजीएसटी अधिनियम/बीजीएसटी अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और सीजीएसटी अधिनियम/बीजीएसटी अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।
- 4. *मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है:

(क)
(평)
(ग)
**(संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)
स्थान :
हस्ताक्षरी का नाम
सदस्यता सं
तारीख :
पूरा पता"

[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)3583)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

27 नवम्बर 2019

एस० ओ० **397**, दिनांक २७ नवम्बर २०१९ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)3583)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 27th November 2019

- S.O. 397, Date 27th November 2019—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2019.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 14th November, 2019.
- 2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules),-
 - (i) in **FORM GST RFD-01**, in Annexure 1,
 - (a) for Statement 1A, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

	Details of documents of inward supplies received of inputs received						rd	Tax paid on inward supplies		ard	Details of documents of outward supplies issued					Tax paid on outward supplies		
Sl. No.	Type of Inward Supply	GSTIN of Supplier/Self GSTIN	Type of Document	No./B/E	Port Code	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Type of Outward Supply	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											B2B/B2C							".

(b) for **Statement 2**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Export of services with payment of tax (accumulated ITC)

Sr.		Document Details						BRC/ FIRC		
No.	Type of Document	No.	Date	Value	Taxable value	Integrated Tax	Cess	No.	Date	Value
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
										":

(c) for **Statement 3**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 3 [rule 89(2)(b) and rule 89(2)(c)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

	Doc	umer	nt De	tails		Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/FIRC		
Sr. No.	Type of Document	No.	No. Date Value		Goods/ Services (G/S)	Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													",

(d) for **Statement 4**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 4 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

GSTIN		ocumei	ıt Detail	ls	Bill o En	ping bill/ of export/ dorsed ce by SEZ	Value	l Tax	
of recipient	Type of Document	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable V	Integrated	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									";

(e) after Statement 4, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 4A

Refund by SEZ on account of supplies received from DTA - With payment of tax

GSTIN of	Do	cumen	t Details		Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Value	l Tax	
Supplier	Type of Document	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable V	Integrated	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									",

(f) for Statement 5, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 5 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)] Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (without payment of tax)

Sr. No.	1	Document	t Details	Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice no.		
	Type of Document	No.	Date	Value		No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8
							";

(g) for **Statement 5B**, the following Statement shall be substituted, namely:"Statement 5B [rule 89(2)(g)] Refund Type: On account of deemed exports claimed by supplier

Sl.	Docume supplies in		efund i		Tax paid					
No.	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/Union Territory Tax	Cess		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports claimed by recipient

Sl. No.		Docume supplies in	case r			Tax paid				
1,00	GSTIN of Supplier	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/Union Territory Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									";	

(h) for Statement 6, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-state to intra-state and vice versa)

Document Type	Recipient	Name (in case	Document Details							
B2C/Registered	GSTIN/UIN	of B2C)	Type of Document	No.	Date	Value	Taxable Value			
1	2	3	4	5	6	7	8			

Details of documents covering transaction considered as intra –State / inter-State transaction earlier											
Inter/Intra	nter/Intra Integrated Tax Central tax State/UT Tax Cess PoS										
9	10	11	12	13	14						

Transaction which were held inter State / intra-State supply subsequently					
Inter/Intra	Integrated Tax	Central tax	State/UT Tax	Cess	PoS
15	16	17	18	19	20
					".

- (ii) in FORM GSTR-9, in the Table,-
 - (a) against serial number 8C, in column 2,-
 - (A.) before the letters and words "ITC on inward supplies", the word, letters and figures "For FY 2017-18" shall be inserted;
 - (B.) after the entry ending with the words and figures, "April 2018 to March 2019", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "; For FY 2018-19, ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2018-19 but availed during April 2019 to September 2019";

- (b) in Pt. V,-
 - (A.) before the words "Particulars of the transactions", the word, letters and figures "For FY 2017-18" shall be inserted;
 - (B.) after the heading ending with the words and figures "April 2018 till March 2019", the following entry shall be inserted, namely:"For FY 2018-19, Particulars of the transactions for the FY 2018-19 declared in returns between April 2019 till September 2019";

(iii) in FORM GSTR-9, in the instructions,

- (a) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely: -
 - "2. It is mandatory to file all **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** for the financial year for which the return is being filed for before filing this return and for FY 2017-18, the details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.";

(b) in paragraph 4, -

- (A.) before the words, "It may be noted", the word, letters and figures "For FY 2017-18," shall be inserted;
- (B.) after the words, letters and figures, "that additional liability for the FY 2017-18", the letters and figures "or FY 2018-19" shall be inserted;
- (C.) after the words, "taxpayers cannot claim input tax credit", the words, letters and figures "unclaimed during FY 2017-18", shall be omitted;
- (D.) in the Table, in second column,-
 - (I) against serial number 4I, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of credit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.":
 - (II) against serial number 4J, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";
 - (III) against serial number 4K & 4L, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.":
 - (IV) against serial number 5D,5E and 5F, after the entry ending with the words, figures and brackets "under Non-GST supply (5F).", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either separately report his supplies as exempted, nil rated and Non-GST supply or report consolidated information for all these three heads in the "exempted" row only.";
 - (V) against serial number 5H, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of credit notes in case

- there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";
- (VI) against serial number 5I, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";
- (VII) against serial number 5J & 5K, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";

- (c) in paragraph 5, in the Table, in second column,-
 - (A.) against serial number 6B, after the entry ending with the words, figure, brackets and letter "under 6(H) below.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the "inputs" row only.";
 - (B.) against serial number 6C and serial number 6D, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the "inputs" row only.
 - For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report Table 6C and Table 6D separately or report the consolidated details of Table 6C and 6D in Table 6D only.";
 - (C.) against serial number 6E, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs and capital goods or report the entire input tax credit under the "inputs" row only.";
 - (D.) against serial number 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, after the entry ending with the words, figures and letters "in 7E of **FORM GSTR-9**.", the following entry shall be inserted, namely:
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either fill his information on reversals separately in Table 7A to 7E or report the entire amount of reversal under Table 7H only. However, reversals on account of TRAN-1 credit (Table 7F) and TRAN-2 (Table 7G) are to be mandatorily reported.";
 - (E.) against serial number 8A,-
 - (I) for the letters and figures, "FY 2017-18", the words "the financial year for which the return is being for" shall be substituted;
 - (II) before the words, "It may be noted", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;
 - (III) after the entry ending with the words "auto-populated in this table.", the following entry shall be inserted, namely:-

- "For FY 2018-19, It may be noted that the **FORM GSTR-2A** generated as on the 1stNovember, 2019 shall be auto-populated in this table. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).";
- (F.) against serial number 8B, after the entry ending with the words "be autopopulated here.", the following entry shall be inserted, namely: "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).";
- (G.) against serial number 8C,-
 - (I) before the words, "Aggregate value of", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;
 - (II) after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2018-19, Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during April 2018 to March 2019 but credit on which was availed between April 2019 to September 2019 shall be declared here.";
 - (III) after the entry ending with the words "for filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).":
- (H.) against serial number 8D, after the entry ending with the words "shall be negative.", the following entry shall be inserted, namely:- "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).";
- (d) in paragraph 7,-
 - (A.) before the words and letter "Part V consists", the word, letters and figures "For FY 2017-18," shall be inserted;
 - (B.) after the entry ending with the words and figures "April 2018 to March 2019", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2018-19, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April 2019 to September 2019.";
 - (C.) in the Table, in second column,-
 - (I) against serial number 10 & 11,
 - (1.) before the words, "Details of additions", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;
 - (2.) after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2018-19, Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April 2019 to September 2019 shall be declared here.":

- (II) against serial number 12,
 - (1.) before the words, "Aggregate value of", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;
 - (2.) after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:"For FY 2018-19, Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.";
- (III) against serial number 13,
 - (1.) before the words, "Details of ITC for", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;
 - (2.) after the entry ending with the words, letters and figures "annual return for FY 2018-19.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2018-19, Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2018-19 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2019-20, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2019-20. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.";
- (e) in paragraph 8, in the Table, in second column,
 - (A.) against serial number 15A, 15B, 15C and 15D, after the words and letters "details of non-GST refund claims.", the words and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted;
 - (B.) against serial number 15E, 15F and 15G, after the words "shall be declared here.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted:
 - (C.) against serial number 16A, after the words "filling up these details.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted;
 - (D.) against serial number 16B and serial number 16C, after the words "shall be declared here.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table." shall be inserted;
 - (E.) against serial number 17 & 18, after the words "value of inward supplies.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table." shall be inserted;
- 3. In the said rules, in **FORM GST GSTR-9C**, in the instructions, in paragraph 2,
 - (i) for the letters and figures, "FY 2017-18", the words "current financial year" shall be substituted;
 - (ii) before the words, "The details for the", the word, letters and figures "For FY 2017-18," shall be inserted;

(iii) in Paragraph 4, in the Table, in second column,-

- (a) against serial number 5B and serial number 5C, after the entry ending with the words and brackets "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";
- (b) against serial number 5D, after the entry ending with the words "not required to be included here.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 50.";
- (c) against serial number 5E and serial number 5F, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";
- (d) against serial number 5G, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:"For FY 2017-18, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";
- (e) against serial number 5H, serial number 5I, serial number 5J, serial number 5K, serial number 5L, serial number 5M and serial number 5N, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(iv) in paragraph 6, in second column, -

- (A.) against serial number 12B, after the entry ending with the words and figures "availed during Financial Year 2017-18.", the following entry shall be inserted, namely:-
 - "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.";
- (B.) against serial number 12C, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.";
- (C.) against serial number 14, after the entry ending with the words "are to be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.";

(v) for Part B, the following shall be substituted, namely:-

"PART – B- CERTIFICATION

I. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit:

* I/we have examined the—
(a) balance sheet as on
(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning from
to ending on, and
(c) the cash flow statement (if available) for the period beginning fromto ending or,—attached herewith, of M/s(Name),
2. Based on our audit I/we report that the said registered person—
*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/BGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder
*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/BGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder: 1.
2.
3.
3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies; if any:
2.4) ************************************
3. (b) *I/we further report that, - (A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our
knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to us.
(B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered person so far as appears from*my/ our examination of the books.
(C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account and the cash flow Statement (if available) are *in agreement/not in agreement with the
books of account maintained at the Principal place of business at
4. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act / BGST Act and
Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act / BGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.
5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to
*me/us, the particulars given in the said Form No.GSTR-9C are true and fair subject to following
observations/qualifications, if any:
(a)
(b)
(C)
**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)
Place:
Name of the signatory
Membership No
Date: Full address

II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by a person other than the person who had conducted the audit of the
*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/
status), bearing membership number in pursuance of the provisions of the
(a) balance sheet as on
(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period
beginning fromto ending on, (c) the cash flow statement (if available) for the period beginning fromto
ending on, and (d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.
2. I/we report that the said registered person—
*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the
IGST/CGST/BGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder
*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the
IGST/CGST/BGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:
1.
2.
3.
3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act / BGS
Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act
BGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.
4. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination
of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the
particulars given in the said Form No.9C are true and fair subject to the following
observations/qualifications, if any:
(a)
(b)
(c)
**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)
Place:

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)3583)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1293-571+10 -डी0टी0पी0।

Name of the signatory

Full address".

Membership No.....

Date:

Website: http://egazette.bih.nic.in